राजस्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : अमित कुमार वर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
23/23	19.06.23	29.11.24

बउनवान

1. गुलबाई सैनी पत्नि गिर्राज सैनी, निवासी ग्राम केसरी का बास, तहसील मण्डावर जिला दौसा।

...प्रार्थिया

बनाम

1. तहसीलदार मण्डावर, जिला दौसा, राजस्थान।
2. दशरथ सिंह नरूका पुत्र स्वर्गीय पदम सिंह. निवासी ग्राम केसरी का बास, तहसील मण्डावर, दौसा।

...अप्रार्थीगण

उपस्थित : श्री शिवदत्त जैमिनी, अधिवक्ता प्रार्थी।

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

प्रार्थिया की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम केसरी, पटवार हल्का पाखर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित आराजी खाता संख्या नई 105 पुराना 41. खसरा संख्या 623 रकबा 0.52 हैक्टे., 642 रकबा 0.55 हैक्टे., 643 रकबा 0.94 हैक्टे., 644 रकबा 0.1 हैक्टे. एवं 645 रकबा 0.05 कुल खसरे 5 कुल रकबा 2.17 के सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थिया काबिज काश्त है। प्रार्थिया की आराजी भूमि के सभी खसरा संख्या की अलग–अलग दिशाओं में अप्रार्थी संख्या 2 की आराजी भूमि सटवा है। प्रार्थिया की आराजी की सीमा का निर्धारण सही नहीं होने के कारण आये दिन अप्रार्थी संख्या 2 से विवाद होने की संभावना बनी रहती है। सामान्य दिनों में एव जोत लगाने के दिनों में प्रार्थिया की आराजी भूमि के उपयोग उपभोग में भी परेशानी होती है। प्रार्थिया शांतिप्रिय महिला है और अपनी आराजी भूमि की सीमा को लेकर कोई विवाद नहीं चाहती है, इसलिए सीमा का ज्ञान करवा कर पत्थरगढी करवा अपनी आराजी भूमि को सुरक्षित करवाना चाहती है। प्रार्थिया ने अप्रार्थी संख्या 2 से अनुरोध किया कि आप स्वीकृति प्रदान कर दे तो मैं अपनी आराजी की पत्थरगढी करवा इसकी सीमा सुरक्षित करना चाहती हूँ और राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अपनी आराजी भूमि पर कब्जा तय कर लेती हूँ परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 ने सहमति प्रदान नहीं की। प्रार्थिया किसी भी प्रकार का विवाद नही चाहती है। पक्षकारान के मध्य कभी भी कोई अपूरणीय क्षति उक्त प्रार्थनापत्र में वर्णित आराजी भूमि की सीमा को लेकर घट सकती है जिसकी कल्पना करना भी असंभव है। उक्त वर्णित आराजीयात ग्राम केसरी, तहसील मण्डावर में स्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थनापत्र पर सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थिया ने निवेदन किया कि प्रार्थीया के कब्जे काश्त की वर्णित आराजी भूमि खसरा ग्राम केसरी, पटवार हल्का पाखर, तहसील मण्डावर में अप्रार्थी की तरफ लगने वाली आराजी की सीमा का ज्ञान करते हुए पत्थरगढी करवाने हेतु उचित आदेश फरमाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र पंजीबद्ध किया गया एवं अप्रार्थीगण को वास्ते जवाब प्रार्थना पत्र नोटिस जारी किए गए। पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाता की नकल जमाबंदी का अवलोकन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076 के अनुसार, ग्राम केसरी, पटवार हल्का पाखर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा, राजस्थान में स्थित आराजी खाता संख्या नई 105 पुराना 41. खसरा संख्या 623 रकबा 0.52 हैक्टे., 642 रकबा 0.55

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner

हैक्टे., 643 रकबा 0.94 हैक्ट., 644 रकबा 0.1 हैक्टे. एवं 645 रकबा 0.05 कुल खसरे 5 कुल रकबा 2.17 की प्रार्थिया एकल खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थिया अपने खाते की उक्त कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने के अधिकारी है। इससे राजस्व अभिलेख में किसी भी पक्षकार के किसी प्रकार के हक व अधिकार तय नही होते है तथा न किसी प्रकार से अधिकार निर्धारित किये जाते है। अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 सशर्त स्वीकार किया जाकर ग्राम केसरी, पटवार हल्का पाखर, तहसील मण्डावर, जिला दौसा राजस्थान में स्थित आराजी खाता संख्या नई 105 पुराना 41 खसरा संख्या 623 रकबा 0.52 हैक्टे., 642 रकबा 0.55 हैक्टे., 643 रकबा 0.94 हैक्ट., 644 रकबा 0.1 हैक्टे. एवं 645 रकबा 0.05 कुल खसरे 5 कुल रकबा 2.17 भूमि के लिये पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थिया पहले अपने आराजी के सीमाज्ञान हेतु तहसीलदार मण्डावर के कार्यालय में निर्धारित प्रारूप में आवेदन करे तथा निर्धारित रीति से सीमाज्ञान की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त ही पत्थरगढी किये जाने के लिये भू. अ. निरीक्षक उकरून्द को 1500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। लिखित सहमति पश्चात प्रार्थिया की उपस्थिति में ही पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न की जावें। कमिश्नर फीस प्रार्थी मौके पर जमा करावें। पत्थरगढी करने के पश्चात यदि यह पाया जाता है कि प्रार्थिया की भूमि पर अन्य काश्तकार का या किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी विधिवत कब्जा प्राप्त करने हेतु सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है। उक्त आदेश के तहत किसी प्रकार से राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नही किया जावें। प्रार्थिया की उपरोक्त खातेदारी भूमि के संबंध में अन्य न्यायालयों में कार्यवाही विचाराधीन होने एवं स्थगन होने पर पत्थरगढी कार्य नही किया जावें। अतः भू. अ. निरीक्षक उकरून्द मौके पर उपस्थित प्रार्थीगण पडौसीयान की उपस्थिति में पत्थरगढी कर पर्चा मौका मय मानचित्र प्रस्तुत करे। पत्थरगढी किये जाने के लिये तहसीलदार मण्डावर को पालनार्थ हेतु लिखा जावे।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

उपखण्ड अधिकारी
मण्डावर (दौसा)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मण्डावर (दौसा)

Scanned with OKEN Scanner